न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 499/2015
GCMS NO. : **2015/00550**

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. बाबू पुत्र मेहरात 2. छोटी देवी पत्नी भंवरलाल माली निवासी– रास(धड़ी) 3. गीतादेवी पत्नी रामचन्द्र माली निवासी– रास(भैरजी की ढाणी) 4. ललिता देवी पत्नी सुनिल जांगिड़ 5. नैना उर्फ कमला पत्नी प्रेमचन्द माली 6. सुगनी पत्नी जीवण माली निवासी– रास(भैरजी की ढाणी) 7. समदा पुत्र सायर मेहरात 8. गेना पुत्र सायर मेहरात 9. रोशन पुत्र सायर मेहरात 10. सुबान पुत्र सायर मेहरात निवासीगण– बगतपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर। 11. सोहनी पत्नी कमा मेहरात 12. रामपाल पुत्र कमा मेहरात 13. मोहन पुत्र कमा मेहरात 14. गोकल पुत्र कमा मेहरात 15. जलाल पुत्र कमा मेहरात 16. सलीम पुत्र कमा मेहरात 17. गोटी पुत्री कमा मेहरात 18. सेना पुत्री कमा मेहरात 19. बिदामी देवी पत्नी घीसा मेहरात 20. शारदादेवी पत्नी बोदू मेहरात 21. कुसुमी पत्नी हरी मेहरात 22. अली पुत्री हरी मेहरात 23. गोविन्द पुत्र हरी मेहरात 24. मनोहर पुत्र हरी मेहरात 25. शांति पुत्री हरी मेहरात निवासीगण– बगतपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर।		1. पप्पुदेवी पत्नी पूनाराम 2. बाबू पुत्र धन्ना 3. पुना पुत्र धन्ना 4. सुखा पुत्र शंकर जातियान– रेगर, निवासीगण– बगतपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर। 5. लक्षित पुत्र प्रकाश सोलंकी कौम– ढोली, निवासी– खोड, तहसील व जिला– पाली 6. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर।

(रवि प्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

<u>राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> <u>तारीख रजू:-21.12.2015</u>

उपस्थितः-

1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री अमित त्रिपाठी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

<u>-:: निर्णय ::-</u> <u>दिनॉकः- 18/11/2024</u>

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व मौजा बगतपुरा पटवार हल्का रास द्वितीय तहसील जैतारण में वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2422 रकबा 19-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण सभी माफिक अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज है एवं उक्त भूमि पर वादीगण के बाड़े व कच्चे पक्के मकान बने हुये है। इस भूमि का पक्षकारान माफिक हक हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करते आ रहे है। जिनकी प्रविष्टि नकल चालू जमाबंदी में है। जो इस वादपत्र के साथ पेश है। इस भूमि का वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से जाना जायेगा। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित विवादित भूमि का मौके पर वादीगण का कब्जा व हक अधिकार चला आ रहा है तथा वादीगण अपनी इस भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ भू रुपान्तरण करवाना चाह रहे है लेकिन सम्पूर्ण भूमि संयुक्त व शामलाती होने की वजह से वादीगण भूरूपान्तरण की कार्यवाही करने में सफल नहीं हो पा रहे है जिस पर वादीगण ने अपने हक हिस्से व अधिकार की इस जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाने हेतु प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण इस प्रकार का बंटवाड़ा करवानें में आनाकानी कर रहे है एवं दिनांक 10.12.2015 को प्रतिवादीगण पूना ने इस भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करवाने से इन्कार कर दिया है। जबकि वादीगण अपने अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा विरूद्ध के पेश हैं। वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित विवादित भूमि से प्रतिवादीगण पूना व अन्य ने दिनांक 10.12.2015 को वादीगण को उनके कब्जा सुदा व हकपुरा भूखण्डों से बेदखल करने एलानिया धमकियां दी कि वह वर्तमान में किसी तरह से कोई बंटवाड़ा नहीं करवायेंगे जिससे मौके पर विवाद होगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिर्डिंग्स होगी व वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्याकंन मुद्रा में नहीं किया जा सकता है इसलिए यह वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 06 तहसीलदार जैतारण जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं एवं इस वादपत्र में आवश्यक पक्षकार है जिनके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है परन्तु नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना है। इसलिए नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

है। जिनकी अनुमति हेतु प्रार्थनापत्र अलग से पेश हैं बिनाय वाद दिनांक 10.12.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करने से इन्कार करने पर व वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम बगतपुरा रास तहसील– जैतारण में पैदा हुआ है जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

इस पर वादीगण का राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री अमित त्रिपाठी ने वकालतनामा एवं ईकबालिया जवाब दावा पेश किया जो शामिल मिसल है। प्रतिवादीगण संख्या 01 तथा 05 से 06 बावजूद सम्मनस् सूचना/तामिल एवं बार बार आवाजें दिलाई जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 04 ने इकबालिया जवाब दावा पेश कर कथन किया है कि वादीगण का वादपत्र माफिक इस्तदुआ स्वीकार फरमावे तो हम प्रतिवादीगण को कोई उजर ऐतराज नहीं है। इसलिए वादीगण का वादपत्र माफिक इस्तदुआ डिक्री फरमावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, साक्ष्य शपथ–पत्र, प्रतिवादीगण संख्या 02 से 14 की ओर से प्रस्तुत ईकबालिया जवाबदावा एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान पर गौर कर मनन किया। सरहद मौजा बगतपुरा पटवार हल्का रास द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2422 रकबा 19–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड में स्वयं अपने अपने हक हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, अतः खसरा नम्बर 2422 रकबा 19–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंट्वाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई सरहद मौजा बगतपुरा पटवार हल्का रास द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2422 रकबा 19–17 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावे व मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावे। तहसीलदार जैतारण को बंट्वाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2016/727 दिनांक 20/04/2016 व पत्रांक/कोर्ट/2020/56 दिनांक 20/01/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/24/5257 दिनांक 23/09/2024 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई। बहस के दौरान वकील अधिवक्ता ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बगतपुरा, पटवार हल्का रास द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान की वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 2422 रकबा 19–17 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	बाबू पुत्र हीरा कौम मेहरात सा. बगतपुरा	32682645/12	0.1474	सेवज अव्वल	0.15
2.	पूनाराम पुत्र पुखराज कौम सुथार सा. रास खातेदार	32682645/10	0.0368	सेवज अव्वल	0.03
3.	किशोर, सुवालाल, हनुमान पि0 बाबुलाल, रूकमा रतनी, विमला, सरिता पुत्रीयां बाबुलाल, परमा पत्नी बाबूलाल हि. 875/9365, सुका पुत्र शंकर हि. 875/9365, पूनाराम पुत्र धन्नाराम 5368/9365, पप्पूदेवी पत्नी पूनाराम 2252/9365 कौम रेगर सा. देह खातेदार	32682685/1	0.9365	सेवज अव्वल	0.94
4.	मोहन, रामपाल, गोकल, सलीम, जलाल पि0 कमा, सेना, गोटी पुत्रियां कमा, सोहन पत्नी कमा कौम मेरात सा0 बगतपुरा	32682685/2	0.1870	सेवज अव्वल	0.19
5.	गीतादेवी पत्नी रामचन्द्र कौम माली सा0 रास खातेदार	32682685/5	0.1496	सेवज अव्वल	0.15
6.	छोटीदेवी पत्नी भंवरलाल कौम माली सा0 रास खातेदार	32682685/6	0.1496	सेवज अव्वल	0.15
7.	नैना उर्फ कमला पत्नी प्रेमचन्द कौम माली सा0 रास	32682685/3	0.1870	सेवज अव्वल	0.18
8.	शारदादेवी पत्नी बोदू हि. 998/2244, बदामी देवी पत्नी घीसा हि. 1246/2244 कौम मेरात सा0 बगतपुरा खातेदार	32682685/2422	0.2244	सेवज अव्वल	0.22

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

9.	सुबान, रोशन पि0 सायर कौम मेरात सा0 बगतपुरा खातेदार	32682685/9	0.0737	सेवज अव्वल	0.07
10.	ललिता देवी पत्नी सुनिल जांगिड़ कौम सुथार सा0 रास खातेदार	32682685/4	0.1870	सेवज अव्वल	0.18
11.	लक्षित पुत्र प्रकाश सोलंकी कौम ढ़ोली सा0 खोड़ तहसील व जिला पाली खातेदार	32682685/8	0.1511	सेवज अव्वल	0.15
12.	रामचन्द्र पुत्र सूरजमल कौम गुर्जर सा0 निम्बेटी रास खातेदार	32682685/13	0.3740	सेवज अव्वल	0.39
13.	सुगनी देवी पत्नी जीवणराम कौम माली सा0 रास	32682685/7	0.1511	सेवज अव्वल	0.15
14.	हाजी, असगर खाँ पुत्र मनोहर खां कौम सिपाही मुसलमान सा0 सिपाहियों का बड़ा बास जैतारण खातेदार	32682685/11	0.0368	सेवज अव्वल	0.04

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 18/11/2024 को सर-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

–ः वादीगण ः–

1. बाबू पुत्र मेहरात
2. छोटी देवी पत्नी भंवरलाल माली निवासी– रास(धड़ी)
3. गीतादेवी पत्नी रामचन्द्र माली निवासी– रास(भैरजी की ढाणी)
4. ललिता देवी पत्नी सुनिल जांगिड़
5. नैना उर्फ कमला पत्नी प्रेमचन्द माली
6. सुगनी पत्नी जीवण माली निवासी– रास(भैरजी की ढाणी)
7. समदा पुत्र सायर मेहरात
8. गेना पुत्र सायर मेहरात
9. रोशन पुत्र सायर मेहरात
10. सुबान पुत्र सायर मेहरात निवासीगण– बगतपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर।
11. सोहनी पत्नी कमा मेहरात
12. रामपाल पुत्र कमा मेहरात
13. मोहन पुत्र कमा मेहरात
14. गोकल पुत्र कमा मेहरात
15. जलाल पुत्र कमा मेहरात
16. सलीम पुत्र कमा मेहरात
17. गोटी पुत्री कमा मेहरात
18. सेना पुत्री कमा मेहरात
19. बिदामी देवी पत्नी घीसा मेहरात
20. शारदादेवी पत्नी बोदू मेहरात
21. कुसुमी पत्नी हरी मेहरात
22. अली पुत्री हरी मेहरात
23. गोविन्द पुत्र हरी मेहरात
24. मनोहर पुत्र हरी मेहरात
25. शांति पुत्री हरी मेहरात निवासीगण– बगतपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर।

बनाम

–ः प्रतिवादीगण ः–

1. पप्पुदेवी पत्नी पूनाराम
2. बाबू पुत्र धन्ना
3. पुना पुत्र धन्ना
4. सुखा पुत्र शंकर जातियान– रेगर, निवासीगण– बगतपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर।
5. लक्षित पुत्र प्रकाश सोलंकी कौम– ढोली, निवासी– खोड, तहसील व जिला– पाली
6. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर।

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु०न० ःरा०वा० स०ः 499/2015

निर्णय व डिक्री दिनांक ः–18/11/2024

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर))

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री अमित त्रिपाठी प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बगतपुरा, पटवार हल्का रास द्वितीय, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान की वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 2422 रकबा 19-17 बीघा किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	बाबू पुत्र हीरा कौम मेहरात सा. बगतपुरा	32682645/12	0.1474	सेवज अव्वल	0.15
2.	पूनाराम पुत्र पुखराज कौम सुथार सा. रास खातेदार	32682645/10	0.0368	सेवज अव्वल	0.03
3.	किशोर, सुवालाल, हनुमान पि0 बाबुलाल, रूकमा रतनी, विमला, सरिता पुत्रीयां बाबुलाल, परमा पत्नी बाबूलाल हि. 875/9365, सुका पुत्र शंकर हि. 875/9365, पूनाराम पुत्र धन्नाराम 5368/9365, पप्पूदेवी पत्नी पूनाराम 2252/9365 कौम रेगर सा. देह खातेदार	32682685/1	0.9365	सेवज अव्वल	0.94
4.	मोहन, रामपाल, गोकल, सलीम, जलाल पि0 कमा, सेना, गोटी पुत्रियां कमा, सोहन पत्नी कमा कौम मेरात सा0 बगतपुरा	32682685/2	0.1870	सेवज अव्वल	0.19
5.	गीतादेवी पत्नी रामचन्द्र कौम माली सा0 रास खातेदार	32682685/5	0.1496	सेवज अव्वल	0.15
6.	छोटीदेवी पत्नी भंवरलाल कौम माली सा0 रास खातेदार	32682685/6	0.1496	सेवज अव्वल	0.15
7.	नैना उर्फ कमला पत्नी प्रेमचन्द कौम माली सा0 रास	32682685/3	0.1870	सेवज अव्वल	0.18
8.	शारदादेवी पत्नी बोदू हि. 998/2244, बदामी देवी पत्नी घीसा हि. 1246/2244 कौम मेरात सा0 बगतपुरा खातेदार	32682685/2422	0.2244	सेवज अव्वल	0.22
9.	सुबान, रोशन पि0 सायर कौम मेरात सा0 बगतपुरा खातेदार	32682685/9	0.0737	सेवज अव्वल	0.07
10.	ललिता देवी पत्नी सुनिल जांगिड़ कौम सुथार सा0 रास खातेदार	32682685/4	0.1870	सेवज अव्वल	0.18
11.	लक्षित पुत्र प्रकाश सोलंकी कौम ढ़ोली सा0 खोड़ तहसील व जिला पाली खातेदार	32682685/8	0.1511	सेवज अव्वल	0.15

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

12.	रामचन्द्र पुत्र सूरजमल कौम गुर्जर सा0 निम्बेटी रास खातेदार	32682685/13	0.3740	सेवज अव्वल	0.39
13.	सुगनी देवी पत्नी जीवणराम कौम माली सा0 रास	32682685/7	0.1511	सेवज अव्वल	0.15
14.	हाजी, असगर खाँ पुत्र मनोहर खां कौम सिपाही मुसलमान सा0 सिपाहियों का बड़ा बास जैतारण खातेदार	32682685/11	0.0368	सेवज अव्वल	0.04

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 18/11/2024 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला–ब्यावर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	03-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	03-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुत्फरिक	
मिजानः–	09-00	मिजानः–	01-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।